न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 49 / 2012

उनवान

भंवरलाल पुत्र रामा जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कंचन पत्नी लादू जाति जाट नि. देराठू हाल नि. लोहरवाडा, नसीराबाद,
2. हंजा पुत्री लादू पत्नी तेजू जाति जाट नि. देराठू हाल नि. केरिया कला सरवाड,
3. तीजा पुत्री लादू पत्नी मंजी जाति जाट नि. ग्राम देराठू हाल नि. सराधना अजमेर,
4. शम्मा पुत्री लादू पत्नी गोरधन जाति जाट नि. देराठू हाल नि. नांदला नसीराबाद,
5. राजू दत्तक पुत्र लादू जाति जाट नि. देराठू, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
7. बदाम पुत्री रामा पत्नी उगमा जाति जाट निवासी ग्राम झडवासा, नसीराबाद
8. छदाम पुत्री रामा पत्नी जीवण जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
9. काना पुत्र सायरी दोहिता रामा
10. शौकिन पुत्र सायरी दोहिता रामा जाति जाट निवासी ग्राम भटियानी, नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
5 व 7 से 10 जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– दिनांक :– 25/3/21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू की आराजी प्रार्थी की सह खातेदारी की है तथा बराबर हिस्से में अंकित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
862 / 1048	4868	0.64
	5086	0.62
	5087	1.37
	5333	0.19
	5334	0.19
	5336	0.34
	6810	0.47
	6931	0.25
	6952	0.30
	6954 / 7374	0.31
	6957	0.34
कुल किता	11	5.02

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है। प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 5 उक्त आराजी के सह खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 उक्त आराजी का विभाजन नही कराना चाहते है। अप्रार्थीगण अविभाजित आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर आधा हिस्सा गजमल पुत्र रामा का व आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का है अप्रार्थी संख्या 5 लादू का दत्तक पुत्र नही है। विरासत के नामान्तकरण जिससे राजू को लादू का दत्तक पुत्र बताया है को दिनांक 04.01.13 को हाजा न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर निरस्त कर दिया है। जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश की गयी तथा उक्त अपील दिनांक 05.03.14 को खारिज कर दी गयी है। उक्त नामान्तकरण धोखे से खुलवाने के कारण अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्व धारा 420, 468 भा.द.स. का मुकदमा दर्ज करवाया गया जो विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 5 का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है। अप्रार्थी संख्या 5 प्रार्थी गजमल का जायन्दा पुत्र है। जवाबकर्ता उक्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार है अतः उनके विरूद्व निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 5 ने राजीनामा हेतु पेश शपथ पत्र में स्वीकार किया है कि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 5 का नाम सहवन से अंकित हो गया है। व उक्त नाम हटाने का भी अंकन किया है प्रकरण में वाद कारण दिनांक 20.5.12 का अंकित किया है किन्तु राजीनामा का शपथ पत्र दिनांक 24.07.12 का है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के खातेदार रामा पुत्र राचचन्द थे जिनका स्वर्गवास हो गया है। रामा के वारिसान लादू व गजमल पुत्र, सायरी, बदाम, छदाम पुत्री है जिनमें से सायरी की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस काना व शौकिन है तथा लादू की मृत्यु हो गयी है के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 से 4 पुत्री है। उक्त सभी वारिस आराजी मुतनाजा के सहखातेदार है अतः उनके मध्य विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थी संख्या 7 से 10 ने प्रकरण में अलग से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी है। आराजी मुतनाजा आवेदनकर्ता की पुश्तैनी है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 से 6 का 1/5 हिस्सा व प्रार्थी बदाम का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी छदाम का 1/5 हिस्सा व प्रार्थी काना व शौकिन का 1/5 हिस्सा है। आराजी मुतनाजा संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी है जो पूर्व राजस्व अभिलेख में रामा पुत्र रायचन्द के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का नाम भू प्रबन्ध विभाग ने दर्ज नही किया। जबकि रामा पुत्र रायचन्द के प्रार्थीगण भी विधिक वारिस है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 6 उक्त आराजी को बैचान व हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने 2010 (2) आर.बी.जे. 1392, आर.बी.जे. (20) 2013 पेज 96 से 101, आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 270 से 272, आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 163 से 165, आर.आर.टी. पेज 1439 से 1442, आर.बी.जे. (18) 2011 पेज न. 174 से 176 व विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या [illegible] आर.आर.टी. 2012 पेज 626 से 630 व आरबीजे (26) 2019 पेज न0 130 से 133 [illegible] पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:52 IST
Reason: SelfAttested

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा राजू पुत्र लादू, कंचन, हंजा, शम्मा, तीजा पुत्रियॉ लादू 1/2 हिस्सा व गजमल पि. रामा का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी लादू, गजमल पि. रामा के

उपखण्ड अधिकारी

खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी व भू संशोधन जमाबंदी में लादू व गजमल पि. रामा के नाम खातेदारी दर्ज थी। जिनकी विरासत के बाद उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 5 का नाम राजू दत्तक पुत्र लादू अंकित किया है जबकि जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 5 का नाम राजू पुत्र लादू अंकित है। प्रकरण में राजू लादू के गोद गया या नही इस बाबत विवाद है। जिसका फौजदारी मुकदमा भी दोनो पक्षों के बीच चलने के दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध है। हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 346 दिनांक 20.07.04 जिसके द्वारा राजू को लादू का पुत्र दर्ज किया था की अपील आंशिक स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 346 दिनांक 20.07.04 पर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नवीन निर्णय पारित करने का आदेश जारी किया था। जिसकी अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त ने खारितज कर हाजा न्यायालय का आदेश यथावत रखा है। ग्राम पंचायन द्वारा जारी शजरा प्रमाण पत्र में लादू का कोई पुत्र नही होना अंकित है। अप्रार्थी संख्या 5 राजू व उसके जायन्दा पिता गजमल ने दिनांक 24.07.12 को एक शपथ पत्र नोटेरी प्रमाणित निष्पादित किया है कि जिसमें अंकन किया है **"कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज हुआ है उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के यहा दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर अपना नाम हटवा लेगा। राजू का वास्तविक हिस्सा उसके पिता गजमल से मिलता है वही प्राप्त करने का अधिकारी होगा।"** उक्त राजीनामा के शपथ पत्र में प्रार्थी गजमल व अप्रार्थी संख्या 5 राजू का अंगूठा निशानी है। लादू के नाम की आराजी राजू के नाम पुत्र के नाम दर्ज होने के संबध में थानाधिकारी नसीराबाद सदर द्वारा चालान अन्तर्गत धारा 420/468/120बी./465/119 भी न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में गजमल द्वारा राजू को लादू का दत्तक पुत्र बताया है जमाबंदी में राजू लादू के पुत्र के रूप में दर्ज है तथा राजीनामा शपथ पत्र में राजू को गजमल के हिस्से की आराजी पर हक देने का कथन अंकित है। उक्त सभी तथ्यों का गुणावगुण पर निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। वर्तमान राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 सह खातेदार दर्ज है। एक सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार को जरियें निषेघाज्ञा पाबंद करवाया जाना न्ययोचत नही है। प्रत्येक सहखातेदार का अविभाजित आराजी पर बराबर–बराबर हक व अधिकार निहित होता है।

अप्रार्थी संख्या 7 से 10 ने भी प्रकरण में अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने व उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा चाही है। किन्तु उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 3115, 3040 के साबिक राजस्व अभिलेख की स्थिति प्रकरण में स्पष्ट नही की है। उक्त खसरा नम्बर चौसाला जमाबंदी में किस के नाम है यह प्रकरण में अंकित नही किया है साथ ही चौसाला खसरा नम्बर 3109 रामा पुत्र रायचन्द के नाम दर्ज नही होकर रामदेव पुत्र छीतर के नाम दर्ज है। चौसाला खसरा नम्बर 3039 व 4071 रामा पुत्र रायन्द के साथ अन्य व्यक्तियों के नाम भी खातेदारी में दर्ज है उन व्यंक्तियों/वारिसों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा लादू व गजमल के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी चौसाला जमाबंदी में पुश्तैनी होने का कथन प्रार्थीगण द्वारा किया गया है। किन्तु उक्त आराजी सन 1970 से लादू व गजमल के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण ने लगभग 50 [illegible] हाल इन्द्राज के विरूद्ध चाराजोही की है। जिसका गुणावगुण पर निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने के कथनों का [illegible] न्यायोचित नही है। गजमल व राजू द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व अभिवचनों से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण [illegible] पक्ष में सिद्व नही होता है अप्रार्थीगण अविभाजित आराजी के सहखातेदार है जिनको पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत नजीर भी प्रकरण में चस्पा पायी जाती है। प्रथम दृष्टया सदभावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार निश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। अप्रार्थी संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार है जिसे पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य का निर्धारण मूल वाद में किया जावेगा अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कथन है कि रेकोर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेघाज्ञा जारी नही की जा सकती प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 7 से 10 के हक का निर्धारण मूल वाद में सारू व संबधित दस्तावेज से ही होगा। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 सह खातेदार होने से उक्त आराजी पर उनका हक व हिस्सा जमाबंदी अनुसार निहित है। उन्हे पाबंद किया जाता है तो उन्हे अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपूरणिय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम व प0म0 देराठू की आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 से 10 का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:52 IST
Reason: SelfAttested